(192)

(299)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट, रीवा,

जिला- रीवा (म0प्र0)

GF Rs. 20/-

560
13.9.13

हनुमानदीन पिता सूर्यदीन कुशवाहा, नि0 ग्रा0 कुंडिया पवाई,

तह0 रामपुर नैकिन, जिला- सीधी (म0प्र0) ---आवेदक

R-4260-II/13

बनाम

म0प्र0 शासन ------ ----- अनावेदक

अधिवक्ता श्री के.एन. मिश्रा
द्वारा प्रस्तुत।
रीवा, दि0 19.9.13

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्याया0 तहसीलदार रामपुर नैकिन, जि0 सीधी (म0प्र0) द्वारा प्र0क्र0- 9/अ-3/12-13 में पारित आदेश दिनांक 09-05-13.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

महोदय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि, प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्यायसिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(2) यह कि आ0 नं0 935/1 आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी है तथा 935/2 विशेश्वर तनय सूर्यदीन काछी के आधिपत्य की भूमि थी जिसे विशेश्वर प्रसाद ने जरिए पंजीकृत विलेख शिशुपाल, इन्द्रपाल, तनय गंगाराम काछी सा0 कुंडिया एवं महाबीर, दशरथ, तनय चिड़ुडा काछी सा0 कुंडिया को बेंच दिया था। विशेश्वर प्रसाद के आधिपत्य की आ0 935/2 से विक्रय के पश्चात् दो नए खसरा नंबरान क्रमशः 935/2/1 एवं 935/2/2, बनाए गए। चूंकि राजस्व नक्शे में 935/1 एवं 935/2 तथा उससे निर्मित नए नंबरान चिन्हित नहीं थे, जिससे अपने हिस्से एवं मौके में कब्जे के आधार पर आवेदक/निगरानीकर्ता ने तहसीलदार रामपुर नैकिन की अदालत में

क्रमशः....2

हनुमानदीन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–सीधी

प्रकरण क्रमांक निग.4260-II /2013

हनुमानदीन कुशवाहा/म0प्र0शासन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0एन0 मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रामपुर नैकिन के प्रकरण क्रमांक 9/अ–3/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2013 के व्रिरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 44(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	